सत्यमेव जयते

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
भारत सरकार

श्रीमती मेनका संजय गांधी
महिला और बाल विकास मंत्री

श्रीमती कृष्णा राज
महिला और बाल विकास
राज्य मंत्री

3 वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियां
2014-17

Scanned by CamScanner

"भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ
नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 2016"

Scanned by CamScanner

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

3 वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियां
2014-17

Scanned by CamScanner

विषय वस्तु

महिलाओं के मामले

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) 2
2. वन स्टॉप सेंटर 5
3. महिला हैल्पलाइन का सर्वसुलभीकरण 7
4. मोबाइल फोनों पर पैनिक बटन 7
5. महिला पुलिस वालिंटियर्स 9
6. पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 9
7. दिव्यांगता अधिनियम, 2016 में व्यक्तियों के अधिकारों में दिव्यांगता के रूप में तेजाब प्रहार का समावेशन 11
8. वैवाहिक वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश 11
9. अनिवासी भारतीय वैवाहिक विवाद 12
10. जेंडर चैम्पियन 12
11. मृत्यु प्रमाण पत्रों पर विधवा का नाम उल्लेख करने की अनिवार्यता 13
12. वृंदावन, उत्तर प्रदेश में विधवाओं के लिए आश्रय गृह 13
13. पंचायतों की महिला प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण 14
14. मातृत्व अवकाश की अवधि में विस्तार करना 17
15. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निरावरण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को क्रियान्वित करना 17
16. गांव, अभिसरण तथा सुविधा सेवा (वीसीएफएस) – 2014–2017 18
17. राष्ट्रीय महिला कोष 19
18. भारतीय महिलाओं की प्रदर्शनियां/उत्सव 20
19. महिला ई–हाट 21
20. राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 22
21. पासपोर्ट की नई नियमावली 23
22. दुर्व्यापार पर कानून 23

बच्चों के मामले

1. गुमशुदा/दुर्व्यापार/भगाए गए बच्चों पर किए गए उपाय 26
2. पोक्सो ई–बॉक्स 30
3. किशोर न्याय (बालक की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016 31
4. दत्तक ग्रहण के विस्तृत सुधार 32
5. राष्ट्रीय पोषण मिशन 35
6. आंगनवाड़ी अवसंरचना में सुधार करना 36
7. पूरक पोषण (आईसीडीएसके अंतर्गत) नियमावली, 2017 37
8. आईसीडीएस प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी) 38
9. किशोरियों के लिए स्कीम 39
10. जंक खाद्य पदार्थ संबंधी दिशानिर्देश 40
11. खाद्य और पोषण बोर्ड की प्रमुख पहलें 41
12. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 42
13. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 43
14. ई–ऑफिस का कार्यान्वयन 44
15. सोशल मीडिया की सहभागिता 45

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते

मेनका संजय गांधी
Maneka Sanjay Gandhi

मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110001
MINISTER
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

17 मई, 2017

संदेश

भारत को विकास के सभी पहलुओं में विश्व के मानचित्र में दर्शाया गया है, जो हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। हमारी सरकार ने 'सुशासन' और 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत के साथ बदलाव के इस अभियान की अगुवाई की।

राष्ट्र की दो तिहाई जनसंख्या की सेवा करते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पहलें की गईं । कुछ मामलों में, प्रयासों ने भारतीय महिलाओं एवं बच्चों का चेहरा बदल दिया और दूसरे मामलों में, कार्य प्रगति पर है । यह पुस्तिका हमारी सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के तरीकों में आदर्श बदलाव का संक्षिप्त विवरण देती है ।

मैं आशा करती हूँ कि महत्वपूर्ण उपलब्धियों (2014–17) की यह पुस्तिका हमारे विज़न, लक्ष्यों एवं हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में की गई हमारी परिवर्तनात्मक पहलों की प्रगति के बारे में उपयोगी संदर्भ के रूप में कार्य करेगी ।

Maneka Sanjay Gandhi

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

Scanned by CamScanner

कृष्णा राज
KRISHNA RAJ

राज्य मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110001
MINISTER OF STATE
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

17 मई, 2017

संदेश

जब हम सतत विकास के लक्ष्यों के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण एवं बच्चों का विकास ऐसे विकास की आधारशिला बने रहते हैं । इस मंत्रालय ने हाल के वर्षों में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों को विकास एवं शासन की उच्च प्राथमिकता सूची में रखने के लिए संकेंद्रित ध्यान के साथ विधायी एवं कार्यक्रमागत सूचना के रूप में अनेक अनेक पहलें की हैं ।

मुझे खुशी होती है कि मंत्रालय तीन वर्षों 2014–2017 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की पुस्तिका का नया संस्करण प्रकाशित कर रहा है जिसमें महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रासंगिक सूचनाएं संक्षिप्त रूप में दी गई हैं । मैं इस पुस्तिका के प्रकाशन के लिए मंत्रालय के मीडिया एकक की पूरी टीम को बधाई देती हूँ और उनके प्रयासों की सफलता की कामना करती हूँ ।

(कृष्णा राज)

Scanned by CamScanner

महिलाओं के मामले

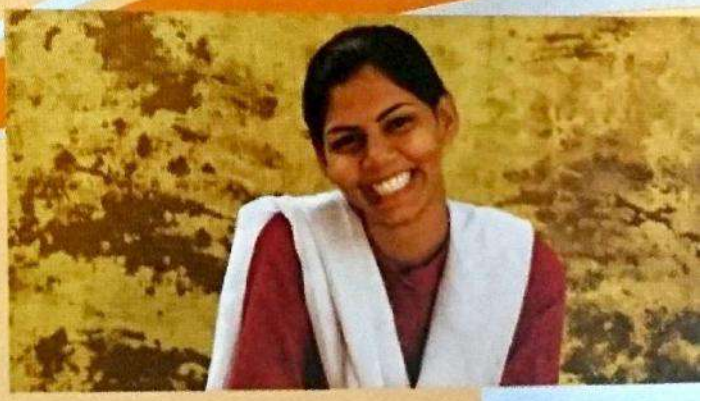

Scanned by CamScanner

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)

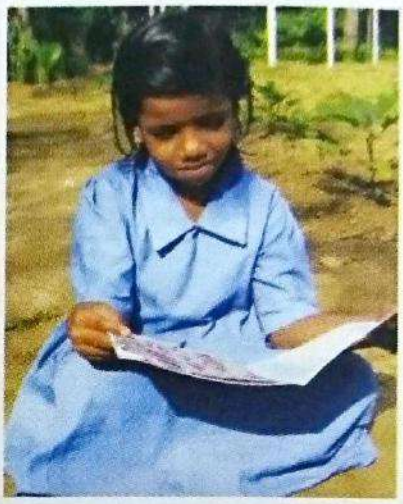

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। बीबीबीपी, घटते हुए बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) और पूरे जीवन–चक्र में महिला सशक्तीकरण के मुद्दे का समाधान करती है। यह महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का त्रिमंत्रालयीय प्रयास है जिसमें निम्न घटकों पर विशेष जोर दिया गया है:

- सोच में परिवर्तन के लिए जागरुकता एवं समर्थन अभियान ;
- घटते हुए लिंग अनुपात वाले 100 +61 जिलों में बहुआयामी कार्रवाई ; बेटियों को शिक्षा; और
- गर्भाधानपूर्व और प्रसवपूर्व निदानात्मक तकनीक अधिनियम (पीसी एंड पीएनडीटी)।

मध्यवर्ती लक्ष्यों के बारे में प्रगति

बीबीबीपी स्कीम के अंतर्गत गर्भाधान के प्रारंभ में ही पंजीकरण, सांस्थानिक प्रसव एवं जन्म के पंजीकरण कराने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय,राज्य और जिला स्तरों पर सम्मिलित प्रयास से 100 जिलों से प्राप्त प्राथमिक रिपोर्ट दर्शाते हैं कि वर्ष 2014–15 और 2015 –16 के दौरान अप्रैल–मार्च के मध्य बीबीबीपी स्कीम वाले 58 प्रतिशत जिलों में जन्म के समय लिंग

Scanned by CamScanner

अनुपात दर में वृद्धि दिखाई देती है, 69 जिलों में प्रसवपूर्व देखभाल पंजीकरण वाले मामलों में प्रथम तिमाही के दौरान पंजीकरण में वृद्धि देखी गई है तथा दर्ज की गई सांस्थानिक प्रसवों के सम्मुख पिछले वर्षो की तुलना में 80 जिलों में भी सुधार देखा गया है ।

प्रथम चरण में बीबीबीपी स्कीम के लिए चुने गए 100 जिलों में से 10 बीबीबीपी जिलों को तीन उत्कृष्ट कार्यों के निष्पादन नामतः सामुदायिक मेल मिलाप, पीसीसीएंडपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और बालिका शिक्षा को समर्थ बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है। जिन जिलों को उनके अच्छे निष्पादन के लिए सराहा गया है उनमें ग्वालियर (एमपी), उस्मानाबाद और जलगांव (महाराष्ट्र), मानसा (पंजाब), यमुनानगर (हरियाणा) कुडलौर (तामिलनाडू) कटुआ (जेएंडके),झुंझनु (राजस्थान),उत्तरी सिक्किम (सिक्किम), और रायगढ़ (छत्तीसगढ़) हैं। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों को भी उनके उत्तम कार्य के लिए प्रशांसा की गई है जैसे कि मंत्रालय द्वारा इस वर्ष राजस्थान को ''नारी शक्ति पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया है। गत वर्ष हरियाणा को सम्मानित किया गया था ।

Scanned by CamScanner

2014-15 2015-16 2016-2017

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

चुने गए 100+61 जिलों में बहुक्षेत्रीय कार्रवाई (सीएसआर में निम्न)

वर्ष 2014–15 और 2015–16 के बीच बीबीबीपी जिलों के प्रथम चरण के 58 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में वृद्धि

घटते हुए बाल लिंग अनुपात और जीवनचक्र की निरंतरता में महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रमुख समर्थन कार्यक्रम

जनवरी 2015 में आरंभ किया गया

Scanned by CamScanner

वन स्टॉप सेंटर

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि न्याय के लिए उन्हें एफआईआर दर्ज करने और न्यायालय में केस लडने के लिए वकील करना पड़ता है। बहुत से मामलों में जानकारी के अभाव या अपराधियों के दबाव में चिकित्सा साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं। परिणामतः महिलाएं आमतौर पर हिंसा सहन करती रहती हैं परंतु शिकायत नहीं करती हैं। ऐसी महिलाओं की सहायता के लिए 'वन स्टॉप सेंटर' स्थापित करने की परिकल्पना की गई तथा 01 अप्रैल, 2015 से इसे क्रियान्वित कर दिया गया है। हिंसा से पीड़ित महिला इन केंद्रों पर चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इन केंद्रों पर, आवश्यकता पड़ने पर स्थिति के अनुसार उनके अस्थायी तौर पर ठहरने का भी प्रबंध किया जाता है। सखी नाम से प्रसिद्ध इन वन स्टॉप केंद्रों को 181 तथा वर्तमान अन्य हैल्पलाइनों से जोड़ दिया जाएगा।

पहला केंद्र 16 जुलाई, 2015 को रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य में आरंभ किया गया था। हिंसा से पीड़ित महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 28 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अब तक 125 ऐसे केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। लगभग छः माह की अवधि में 4000 से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है । वर्ष 2018–19 के अंत तक प्रत्येक जिले में ऐसे केंद्र स्थापित कर दिए जाएंगे। यह स्कीम राज्य/संघ शासित क्षेत्रीय सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में प्रबंध समिति (एमसी) वन स्टॉप केंद्रों के प्रचालन के लिए उत्तरदायी है।

Scanned by CamScanner

2014-15
2015-16
2016-2017

वन स्टॉप सेंटर

15 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 15 प्रचालित (2015–16)

31 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 138 प्रचालित (2016–17)

वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत प्रदत्त सेवाएं

हिंसा से प्रभावित महिलाओं को व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक व्यापक स्कीम

अप्रैल, 2015 में आरंभ की गई

Scanned by CamScanner

महिला हैल्पलाइन का सार्वभौमीकरण

01 अप्रैल, 2016 से महिला हैल्पलाइन स्कीम का सार्वभौमीकरण किया जा रहा है जिसका उद्देश्य है पुलिस, वन स्टॉप केंद्र, अस्पताल जैसे समुचित प्राधिकरणों से संबद्ध माध्यमों के द्वारा देश में एकल नं. (181) के द्वारा महिलाओं से संबंधित स्कीमों की जानकारी के द्वारा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन गैर–आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। महिला हैल्पलाइन को वन स्टॉप सेंटर के साथ समेलित कर दिया जाएगा। हिंसा से पीड़ित एवं उपचारी सेवाओं की जरूरतमंद महिलाओं को हैल्पलाइन के माध्यम से वन स्टॉप केंद्रों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। स्कीम में यह परिकल्पना भी की गई है कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने वर्तमान महिला हैल्पलाइन नंबरों का प्रयोग समर्पित एकल राष्ट्रीय नम्बर के माध्यम से करेंगे। दूर संचार विभागए भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एक संक्षिप्त कोड–181 जारी किया है। अब तक 22 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्यप्रदेश, गुजरात, केरल, उत्तराखंड, मिजोरम, झारखंड, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिसा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में महिला हैल्पलाइनें क्रियाशील हैं ।

मोबाईल फोन पर 'पैनिक बटन'

निराशाजनक परिस्थितियों में महिलाओं की तुरंत आपातकालीन सहायता के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मोबाईल फोन पर पैनिक बटन व्यवस्था आरंभ करने का मुद्दा उठाया है। मंत्रालय द्वारा हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के आधार पर दूर संचार विभाग द्वारा पेनिक बटन तथा वैश्विक अवस्थैतिक सूचना प्रणाली में मोबाईल फोन हस्त –उपकरण नियम 2016 अधिसूचित किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत नववर्ष से सभी नये मोबाईल फोनों में अंकीय पटल बटन सं. 5 (पांच) या 9 (नौ) के समनुरुप पैनिक बटन होंगे तथा सभी स्मार्ट फोनों में निर्धारित ऑन ऑफ बटन को तुरंत 3 बार दबा कर पैनिक सूचना देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सभी नये फोनों में उपग्रह आधारित जीपीएस प्रणाली के माध्यम से अवस्थिति की सूचना देने की व्यवस्था होगी। गृह मंत्रालय के साथ मिलकर निर्भया निधि से आपातकालीन प्रत्युत्तर समर्थित प्रणाली स्थापित/आरंभ की जा रही है। इसके मुख्य प्रयोजन सभी आपात कालीन नंबरों को आधुनिक तकनीक से 112 नंबर से जोड़ना है ताकि पेनिक बटन से भेजे गए 'आपात स्थिति' के संकेत प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

Scanned by CamScanner

कॉल 181
महिला हैल्पलाइन
सलाह • बचाव • पुनर्वास

महिला हैल्पलाइन - 181

2014-15
2015-16
2016-2017

सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित

22 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालित

हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन तथा गैर–आपातकालीन प्रतिक्रिया

Scanned by CamScanner

महिला पुलिस वालंटियर

महिला पुलिस वालंटियर के विस्तृत अधिदेश महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं जैसे घरेलू हिंसाए बाल–विवाह, दहेज उत्पीडन और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ हुई हिंसा को प्राधिकारियों/पुलिस को रिपोर्ट करना है। गृह मंत्रालय ने अप्रैल, 2016 में इस स्कीम के कार्यान्वयन लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

हरियाणा, महिला पुलिस वालंटियर स्कीम को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के करनाल और महेंद्रगढ जिलों के लिए संयुक्त रूप से इसे 14 दिसम्बर, 2016 को करनाल में शुरू किया गया है। अन्य राज्यों द्वारा इसे शीघ्र शुरू किये जाने की उम्मीद की जा रही है। अनंतपुर और कडपा नामक दो जिलों में महिला पुलिस वालंटियर के कार्यान्वयन का आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन भी कर दिया गया है। गुजरात सरकार से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जैंडर संवेदनशीलता के मामलों के प्रति पुलिस के समग्र उत्तरदायित्व में सुधार लाने और पुलिस बल में अधिकाधिक महिलाओं को लाने और जैंडर संवेदनशीलता की सुदृढ़ता के लिए गृह मंत्रालय के साथ कार्य करता रहा है।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कुल पुलिस संख्या में 33 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व रखने के लिए एड्वाइजरी जारी कर दी है। परिणामस्वरूप, 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आरक्षण प्रदान कर दिया है। अभी तक 08 राज्यों अर्थात बिहार, गुजरात, ओडिशा, नागालैंड, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और 06 संघ राज्य क्षेत्र अर्थात चंडीगढ, दमन और दीव, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुद्दुचेरी ने पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पहले ही प्रदान कर दिया है।

Scanned by CamScanner

2014-15 2015-16 2016-2017

महिला पुलिस वालंटियर

एक स्कीम जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा तथा संरक्षा के संबंध में शून्य सहनशीलता स्थापित करना है

अप्रैल, 2016 में गृह मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त हुई ।

दिसम्बर, 2016 में हरियाणा में आयोजित की गई । प्रत्येक राज्य को अनुपालन की दृष्टि से दिशनिर्देश जारी किए गए ।

2014-15 2015-16 2016-2017

पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण

08 राज्यों और 05 संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही आरंभ कर दिया गया है ।

Scanned by CamScanner

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में तेज़ाब आक्रमण के प्रभाव से विकलांगता को सम्मिलित करना

तेजाब डालने/फेंकने से मनुष्य की जिंदगी पर चिर स्थायी क्षति अथवा विरूपता/विकृति के प्रभाव और जीवन पर्यंत निरन्तर चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुरोध किया कि तेजाब डालने/फेंकने से हुई क्षति अथवा विरूपता/विकृति को विनिर्दिष्ट विकलांगता की सूची में सम्मिलित करें। हाल ही में 27 दिसम्बर, 2016 को अधिसूचित विकलांग मनुष्य का अधिकार अधिनियम, 2016 में तेजाब डालने/फेंकने से हुई विरूपता/विकृति को विकलांगता के रूप में सम्मिलित किया गया है। तेजाब से प्रताड़ित पीड़ित अब विकलांगता के लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

वैवाहिक वेबसाइटों के दिशानिर्देश

वैवाहिक वेबसाइटों पर दी गई सूचना की वजह से महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों की बढती संख्या को देखते हुए इलैक्ट्रॉनिक और सूचना टैक्नौलॉजी मंत्रालय (एमईआईटीआई), गृह मंत्रालय (एमएचए) और सेवा प्रदाताओं के परामर्श से यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले की जांच करें और इसके दुरूपयोग पर नजर रखने के उद्देश्य से विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करें। मंत्रालय ने पहले ही वैवाहिक वेबसाइटों के लिए यथोचित सावधानीपरक दिशानिर्देश की तैयारी के लिए व्यापक कार्य पूरा कर लिया है और विविध समस्याओं, मौजूदा सुरक्षा उपाय, विद्यमान विधिक उपचार आदि का ब्यौरा देते हुए अवधारणा पत्र तैयार कर लिया है जिसे संबंधित हितधारकों को परिचालित कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किए गए व्यापक हितधारक विचार–विमर्श के आधार पर इलैक्ट्रॉनिक और सूचना टैक्नौलॉजी मंत्रालय (एमईआईटीआई) ने 06 जून, 2016 को वैवाहिक वेबसाइट की कार्यप्रणाली पर एड्वाइजरी जारी की थी। (http://wcd.nic.in/acts/advisory-functioning-matrimonial-websites)

Scanned by CamScanner

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) वैवाहिक विवाद

भारतीय प्रवासियों में वृद्धि और परिणामतः विदेशी विवाहों के कारण महिलाएं, चाहे भारत में रह रही हों या विदेश में, परित्याग, घरेलू हिंसा, एकपक्षीय विवाह–विच्छेद और बच्चों की कस्टडी आदि से संबंधित मामलों का सामना कर रही हैं। चूंकि, इन मामलों में अंतर–देशीय कानूनों का समावेश होता है, ऐसे मामलों में फंसी महिलाओं को, जब अन्य पक्षकार विदेश में रहता है, तो कानूनी व्यवहार के बारे में सूचनाओं की कमी के कारण कानूनी बाधाओं का सामना करना पडता है।

ऐसे मामलों की कार्य–विधि के बारे में सूचनाओं का प्रचार–प्रसार करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अनिवासी भारतीय (एनआरआई) वैवाहिक विवाद में फंसी महिलाओं के लिए मानक परिचालन कार्य–विधि (एसओपी) तैयार किए हैं। इन मानक परिचालन कार्य–विधियों में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) वैवाहिक विवादों का सामना कर रही महिलाओं के लिए न्याय की शीघ्र प्राप्ति हेतु की जाने वाली चरणबद्ध सही–सही विधिक प्रक्रिया का वर्णन है। ये देशभर के उन न्यायालयों और पुलिस अधिकारियों के लिए प्रभावी संदर्भ पुस्तिका के रूप में भी कार्य करती है जो ऐसे वैवाहिक विवादों की जांच–पड़ताल का कार्य कर रहे हैं अथवा न्यायालयों में महिलाओं के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

जैंडर चैम्पियन

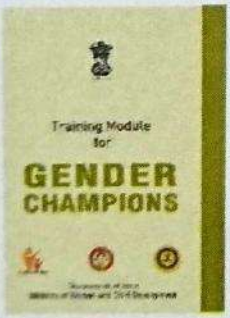

जैंडर चैम्पियन की पहल युवा छात्रों को संवेदनशील बनाने और कानून, विधानों, विधिक अधिकारों और जीवन–कौशल शिक्षा पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए जैंडर चैम्पियन के दिशा–निर्देश संचालित किए जा रहे हैं।

शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अंगीकरण के लिए जैंडर चैम्पियन मॉडयूल तैयार कर लिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की रिपोर्ट के अनुसार 230 महाविद्यालयों और 150 विश्वविद्यालयों ने जैंडर चैम्पियनों का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया है।

Scanned by CamScanner

मृत्यु प्रमाण-पत्र पर विधवा के नाम का अनिवार्य उल्लेख करना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिला के पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके सभी हक विधवा को मिले, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत के महापंजीयक के कार्यालय और राज्य सरकारों के साथ यह सुनिश्चित करने के काम कर रहा है कि विधवा का नाम उसके पति के मृत्यु प्रमाण–पत्र में अनिवार्यतः उल्लेख हो।

वृंदावन, उत्तर प्रदेश में विधवाओं के लिए आश्रय गृह

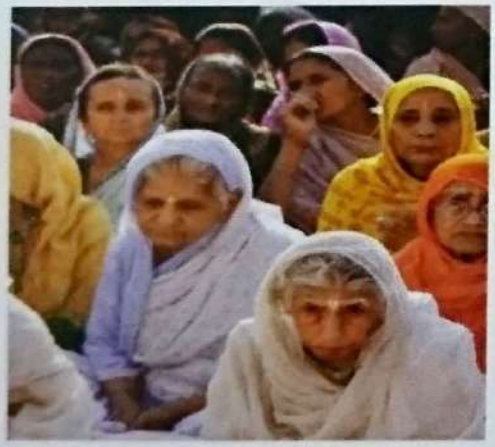

सरकार द्वारा स्थापित और निधिबद्ध की जा रही अब तक की सबसे बड़ी सुविधा है। इस आश्रय गृह में 1000 महिलाओं को आवासित करने की क्षमता होगी जिसका निर्माण वृंदावन में अनुमानतः 57 करोड़ रुपये की लागत से (भू–लागत सहित) 1.424 हेक्टेयर भूक्षेत्र में किया जा रहा है। इस आश्रय गृह का डिज़ाईन हेल्पएज इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है तथा यह वृद्धोनुकूल है। यह आश्रय गृह लगभग तैयार है और इसमें वरिष्ठ नागरिकों और व्यक्तियों तथा दिव्यांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप रैंप लिफ्ट और पर्याप्त विद्युत जल आपूर्ति और अन्य सुविधाओं सहित भूतल के अलावा तीन तल और हैं । यह आश्रय गृह दिसम्बर, 2017 से खुल जाएगा।

Scanned by CamScanner

पंचायत की महिला प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण:

हालांकिए ग्राम पंचायतों के सरपंच के 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, किंतु प्रशिक्षण की कमी और उनके पतिदेव के सतत प्रभुत्व/हस्तक्षेप के कारण वे गांवों की बेहतरी के लिए वास्तविक अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ रहती हैं। जमीनी स्तर पर इन महिलाओं को अधिकार देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंचायतों के दो लाख से अधिक महिला सरपंचों को प्रशिक्षण देने का व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय की साझेदारी से मई, 2016 से प्रारम्भ हो चुका है। इस पहल से देशभर में महिलाओं के लिए व्यापक परिवर्तन होने की उम्मीद है क्योंकि प्रशिक्षित और अधिकार प्राप्त महिला सरपंच सही मायने में राजनीतिक परिवर्तन का कार्य करने में सक्षम हो जाएंगी।

प्रशिक्षण मॉड्यूल्स में सरकारी स्कीमों की बुनियादी जानकारी, सामाजिक मुद्दे और उनके समाधान, पंचायत का वित्तीय प्रबंधन, गांव में ढांचागत सुविधाओं आदि समेत ग्राम स्तरीय प्रबंधन के सभी पहलुओं का समावेश किया गया है। यह स्कीम पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। अब कई राज्यों की 50 प्रतिशत से अधिक पंचायतों में महिला सरपंच हैं जबकि पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण कानूनन अनिवार्य है। महिला सरपंचों के प्रथम बैच का प्रशिक्षण झारखंड में अप्रैल, 2017 को आयोजित किया जा रहा है और सभी राज्यों को क्रमिक रूप से शामिल किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

महिला सरपंचों का प्रशिक्षण

2014-15
2015-16
2016-2017

पंचायतों की 2 लाख से ज्यादा महिला प्रमुखों
को प्रशिक्षित करने का व्यापक कार्यक्रम

राजनीतिक परिवर्तन की ओर
एक अग्रणी कदम

सरकारी योजनाओं, सामाजिक मुद्दों और उनका समाधान,
पंचायत वित्त, ग्रामीण अवसंचना आदि की मौलिक जानकारी

Scanned by CamScanner

2014-15 2015-16 2016-2017

मातृत्व लाभ

मातृत्व अवकाश की अवधि का 26 सप्ताह तक विस्तार

कार्यालय / कारखाना परिसरों में
क्रैच सुविधा स्थापित करने का प्रावधान

2014-15 2015-16 2016-2017

कार्य-स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

10 कर्मचारियों वाले कार्य–स्थलों में अनिवार्य आंतरिक
शिकायत समितियां (आईसीसी)

कार्य–स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर प्रशिक्षण देने
के लिए 29 संस्थानों को सूची में सम्मिलित किया गया

शीघ्र समाधान के लिए ई–प्लेटफार्म की शुरूआत

Scanned by CamScanner

मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की अवधि 07 माह प्रदान करने पर कार्य करती रही है जिससे वे बच्चे के जन्म के बाद छः माह तक केवल उसको स्तनपान कराने और कुपोषण की घटनाओं में कमी लाने में सहायता देने के लिए पूरक पोषण करा सकें । श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस पर विचार किया है और अधिनियम में समुचित संशोधन किए हैं जो इस प्रकार हैं :

1. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत मौजूदा 12 सप्ताह से 26 सप्ताह करके मातृत्व अवकाश में वृद्धि कर दी गई है ।
2. धात्री माताओं और कमीशिनिंग माताओं को मातृत्व अवकाश का विस्तार किया गया है।
3. कार्यालय / फैक्टरी परिसर में शिशु गृह सुविधा का विस्तार किया गया ।

राज्य सभा और लोक सभा, दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित कर दिया गया है। यह अब मातृत्व लाभ अधिनियम (संशोधन), 2017 है।

कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को कार्यान्वित करना

कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय "कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रभावी कार्यान्वयन पर काम कर रहा है। इस बारे में राज्य सरकारों / केंद्रीय मंत्रालयोंधविभागों को यौन उत्पीडन अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन, शिकायतों की त्वरित जांच पडताल और शिकायतकर्त्ता पर पुनः जुल्म / अत्याचार को रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी और मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है।

Scanned by CamScanner

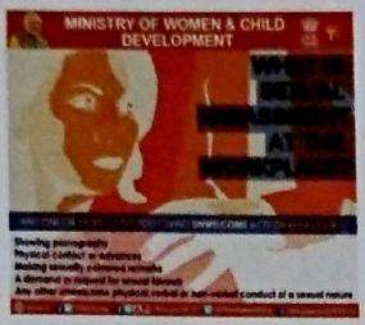

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लैंगिक उत्पीडन अधिनियम पर पुस्तिका भी तैयार करके जारी कर दी है जिसमें अधिनियम के प्रावधानों को व्यावहारिक तरीके से आसानी से उपयोग करने हेतु जानकारी प्रदान की गई हैं। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से "कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन (निवारणए प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के तहत गठित आंतरिक परिवाद समिति के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल भी तैयार किया है। यह मॉडयूल प्राइवेट संगठनों द्वारा उनके मौजूदा सेवा नियमों और विनियमनों के अनुसार अनुकूल बनाया जा सका है। उपरोक्त के अलावा, मंत्रालय ने "कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन (निवारणए प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियमए 2013" के तहत देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने के लिए संस्थानों/संगठनों का पैनल भी बनाया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्राल्य द्वारा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) के सहयोग से सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में गठित आंतरिक परिवाद समितियों के अध्यक्षों के लिए 05 मई, 2017 को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यशाला में 58 मंत्रालयों/विभागों की आंतरिक परिवाद समितियों के अध्यक्षों/सदस्यों ने भाग लिया।

ग्राम अभिकेंद्रीकरण और सुविधा सेवा (वीसीएफएस)-2014-17

ग्राम अभिकेंद्रीकरण और सुविधा सेवा (वीसीएफएस), जो सन 2015 में शुरू की गई थी, सामुदायिक सेवा के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक नई पहल है । समर्पित ग्राम समन्वयकों का चयन महिलाओं के मामलों पर अभिकेंद्रीकरण की सुविधा प्रदान करने और ग्राम पंचायतों और उसकी उप समितियों से निकट संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कानूनी अधिकार, महिलाओं का बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का निराकरण किया जाता है और सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे "बेटी बचाओ,बेटी पढाओ", जन–धन योजना, वन स्टॉप सेन्टर महिला हैल्प लाइन आदि के लिए पहुंच सुलभ करायी जाती है। वीसीएफएस को 100 जेंडर महत्वपूर्ण जिलों से बढ़ाकर अब इसका विस्तार देश भर के 303 जिलों में कर दिया गया है।

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय महिला कोष

राष्ट्रीय महिला कोष पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाईटी और वर्ष 1993 में स्थापित एक सर्वोच्च माईक्रो वित्तीय संगठन है ।

राष्ट्रीय महिला कोष का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थ संगठनों के माध्यम से गरीब महिलाओं को उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सूक्ष्म – ऋण प्रदान करना है जिनमें धारा 25 की कंपनियों एवं एनजीओ के तहत, तथा अन्य रुप में जीवन निर्वाह के विभिन्न साधनों तथा ग्राहक अनुकूल प्रक्रिया स्वरुप रियायती शर्तों पर आयोपार्जन के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है।

आरएमके ने 360 करोड़ रुपये से अधिक राशि की संचित स्वीकृति जारी की है तथा 1500 एनजीओ/आईएमओ के माध्यम से 7.35 लाख से अधिक गरीब लाभार्थियों को 302.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया है ।

ये लक्षित लाभार्थी पारंपरिक और आधुनिक दस्तकारी से लेकर लघु व्यापारियों जैसे कि छोटे–छोटे दुकानदार आदि तक के विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों वाले व्यवसायी होते हैं। ये ऋण आरएमके की विभिन्न स्कीमों अर्थात मुख्य ऋण स्कीम, ऋण बढ़ोतरी स्कीम आदि के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं ।

Scanned by CamScanner

भारतीय महिलाओं द्वारा प्रदर्शनी / उत्सव

महिला शिल्पकारों को सीधे बाजार से जोडने की यह पहल नवम्बरए 2014 में प्रारम्भ हुई थी। ऐसी तीन प्रदर्शनियां/उत्सव दिल्ली में पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं और ऐसी कई प्रदर्शनियां और उत्सव दिल्ली से बाहर के केंद्रों में आयोजित की जा रही हैं। भारतीय महिलाओं द्वारा प्रदर्शनी/उत्सव उनको मंच प्रदान करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं ताकि विशेष रूप से ग्रामीण भारत की महिला उद्यमी और कारीगरों को अपने उत्पादों की प्रदर्शन और विक्रय करने का अवसर मिल सके। ऐसे प्रदर्शन और उत्सव महिलाओं को ज्ञान बांटने और वित्तीय समावेशन के जरिए सामाजिक संतुलन बनाने के लिए उद्यमी अवसरों का सृजन करने में समर्थ बनाते हैं ।

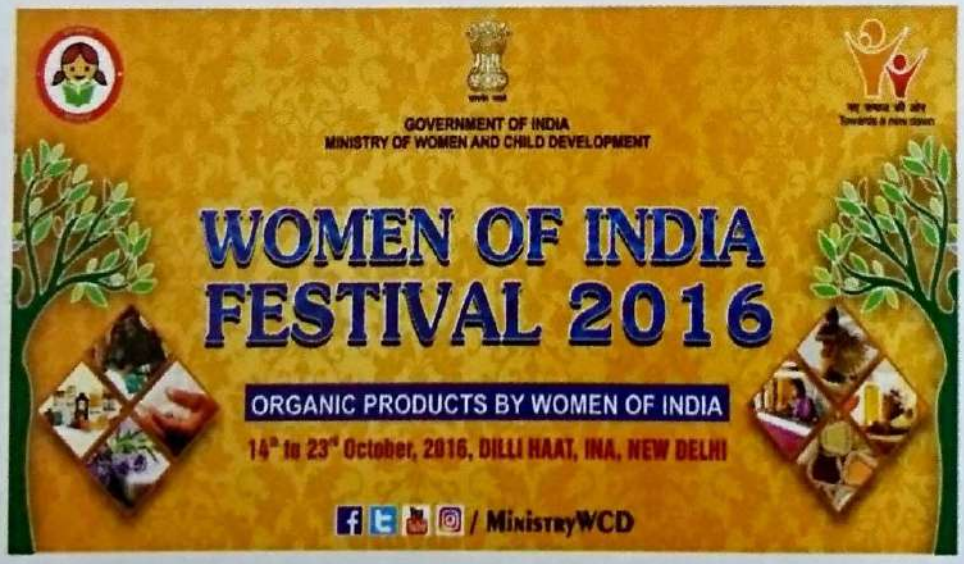

Scanned by CamScanner

महिला-ई-हॉट

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमियों/स्व–सहायता समूहों/एनजीओ के लिए मार्च, 2016 में एक विशिष्ट डिज़िटल ऑनलाइन बाजार मंच 'महिला ई–हॉट' शुरू किया गया है । यह मंच संपूर्ण स्थिति में परिवर्तनकारी हो सकता है क्योंकि महिला उद्यमियों के सशक्तीकरण में इसकी मुख्य भूमिका होती है ।

महिला ई–हॉट का यूएसपी विक्रेता और खरीददार के मध्य सीधे संपर्क की सुविधा प्रदान करता है । इस तक पहुंच आसान है चूंकि महिला ई–हॉट का समस्त कारोबार एक मोबाईल के माध्यम से किया जा सकता है ।

- महिला ई–हॉट को 09 सितंबर, 2016 को श्स्कॉच गोल्डश पुरस्कार से सम्मानित किया गया । इसे वर्ष 2016 के दौरान भारत की '100 सर्वोच्च परियोजनाओं' में स्थान प्राप्त हुआ तथा इसे 'स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट' पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- महिला ई–हॉट पोर्टल को अब तक 18.75 लाख से अधिक दर्शक/हिट प्राप्त हुए हैं ।
- 24 राज्यों की महिला उद्यमियों/स्व–सहायता समूहों/एनजीओ द्वारा लगभग 2222 उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं / सेवाएं प्रदान की जा रही हैं । वर्तमान में 26800 स्व–सहायक समूहों के साथ 3.55 लाख से अधिक लाभार्थी सीधे जुड़े हुए हैं ।

- महिला ई–हॉट पोर्टल पर बीएचआईएम (भीम) यूपीआई आदि के माध्यम से कैशलैस कारोबार करने के लिए क्रमशः सारा विवरण दिया हुआ है ।

Scanned by CamScanner

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति, 2016

महिलाओं के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति, 2016 लगभग तैयार है। इस नीति में 15 वर्षों के बाद संशोधन किया जा रहा है और आशा की जाती है कि यह अगले 15–20 वर्षों के दौरान महिलाओं के मामलों पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का मार्गदर्शन करेगी। महिलाओं के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति, 2016 महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के इर्द–गिर्द तैयार की गई है। इसमें नीति के कार्यान्वयन की परिचालनात्मक रणनीतियां भी विनिर्धारित हैं। इसमें राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय स्तर पर कार्य योजना तैयार करनाएजैंडर संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, नए विधान कानून बनाना और विधानों की समीक्षा/तालमेल बैठाना, सहयोग और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हितधारक काम पर रखना, जैंडर बजटिंग के संस्थानीकरण को सुदृढ करना और प्रभावी जैंडर आधारित डॉटाबेस का सृजन सम्मिलित है।यह नीति महिलाओं के मुद्दों के पूरे जीवन–चक्र सातत्य पर गौर करती है और महिलाओं के प्रति भेदभाव से लेकर नए उभरते प्रेरणादायक महिलाओं की अपेक्षाओं के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है।

Scanned by CamScanner

नए पास पोर्ट नियम

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कहने पर प्रमुख प्रगतिशील प्रस्ताव में विदेश मंत्रालय ने एकल/तलाकशुदा माताओं और उनके बच्चों के साथ–साथ गोद लिए/दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बच्चों की सुविधा के लिए 23 दिसम्बर, 2016 को नए पासपोर्ट नियम (https://www.mea.gov.in/press-releases.html) जारी कर दिए हैं।

अब संशोधित नियमों के अनुसार पिता के नाम का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य नहीं हैए व्यक्ति केवल अपनी माता के नाम का उल्लेख करके पासपोर्ट प्राप्त कर सकता/सकती है। साथ हीए व्यक्ति को अपने विवाह/विवाह–विच्छेद का प्रमाण–पत्र देने की जरूरत नहीं है।

दुर्व्यापार पर विधान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुर्व्यापार से संबंधित विभिन्न अपराधों और दुर्व्यापार की पीडितों के निवारणए संरक्षण और पुनर्वास समेत मौजूदा अंतराल को पाटने दुर्व्यापार के सभी पहलुओं को सम्मिलित करने के उद्देश्य से "मनुष्यों की तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2017" नामक विस्तृत विधान का मसौदा तैयार किया है। मसौदा विधेयक में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थागत कार्यविधि तैयार करके पीडितों के लिए सुदृढ विधिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश के सृजन से दुर्व्यापार से जूझना/सामना करना भी प्रस्तावित है ।

Scanned by CamScanner

दुर्व्यापार पर विधान

2014-15 2015-16 2016-2017

मनुष्यों की तस्करी
(निवारण, संरक्षण और पुनर्वास)
विधेयक, 2017

तस्करी से निपटने का एक सम्पूर्ण तरीका

- मसौदा विरोधी तस्करी बिल 2016: दंड प्रावधान: बढ़ती तस्करी के लिए सख्त सजा
- तस्करी के शिकार और गवाह की पहचान के प्रकटीकरण के लिए–जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निवारक तंत्र
- शोषण के लिए रासायनिक पदार्थ और हार्मोन का उपयोग: राष्ट्रीय विरोधी तस्करी ब्यूरो और राष्ट्रीय विरोधी तस्करी सहत और पुनर्वास समिति
- तस्करी के उद्देश्य के लिए मादक दवा या मनोवैज्ञानिक पदार्थ या शराब का उपयोग – पीड़ित, गवाह और शिकायतकर्ता का संरक्षण

एक विस्तृत विधान तैयार करना

- मौजूदा अन्तर को पाटना
- तत्काल एवं दीर्घकालिक पुनर्वास तथा संरक्षण
- समयबद्ध जांच एवं प्रत्यावर्तन

Scanned by CamScanner

बालकों के मामले

Scanned by CamScanner

लापता/दुर्व्यापार किए गए/ भाग गए बच्चों के सबंध में किये गये उपायः

i) **खोया–पाया पोर्टल** : बालकों की संरक्षा के लिए नागरिक–भागीदारी को लाने के उद्देश्य से, एक नया नागरिक आधारित खोया–पाया पोर्टल का जून, 2015 में शुभारंभ किया गया है जिसमें खोए हुए और देखे गए बच्चों से संबंधित सूचना की जानकारी उपलब्ध होती है । यह दो डाटाबेस – लापता एवं देखे गए बच्चों के सुमेलन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है । जून, 2015 तथा मार्च, 2017 के बीच, पोर्टल पर खोए हुए/देखे गए बच्चों के 7671 मामले बंद किए गए ।

ii) **रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन** : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रेलवे के माध्यम से भागे गएए परित्यक्त, अपहृत किए गएए दुर्व्यापार वाले बच्चों के बचाव तथा पुनर्वास के लिए रेलवे की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली विशेष अग्रणी प्रचालन प्रक्रियाएं (एस.ओ.पी.) तैयार की हैं । 33 प्रमुख रेलवे स्टेशन, जो मूल, स्रोत/गन्तव्य–स्थान/पारगमन स्टेशन हैं, जहां से बालकों का दुर्व्यापार किया गया है, को खोए हुए बच्चों के बचाव, पुनर्वास तथा पुनः स्थापन के लिए सुविधाओं से लैस किया गया है। इसके तहत समूचे देश में 1000 स्टेशनों को शामिल किया जाएगा। इनके लिए विशेष प्रचालन प्रक्रियाएं मार्च, 2015 में जारी की गई थीं ।

रेलवे स्टेशनों के पास गैर–सरकारी संगठन/बालक सहायता–समूह/ चाइल्ड–लाइन यूनिटें उपलब्ध होंगी जो बच्चों को अपने–अपने माता–पिता/संरक्षकों को वापस करने अथवा माता–पिता की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके पुनर्वास के लिए कार्य करेंगी ।

Scanned by CamScanner

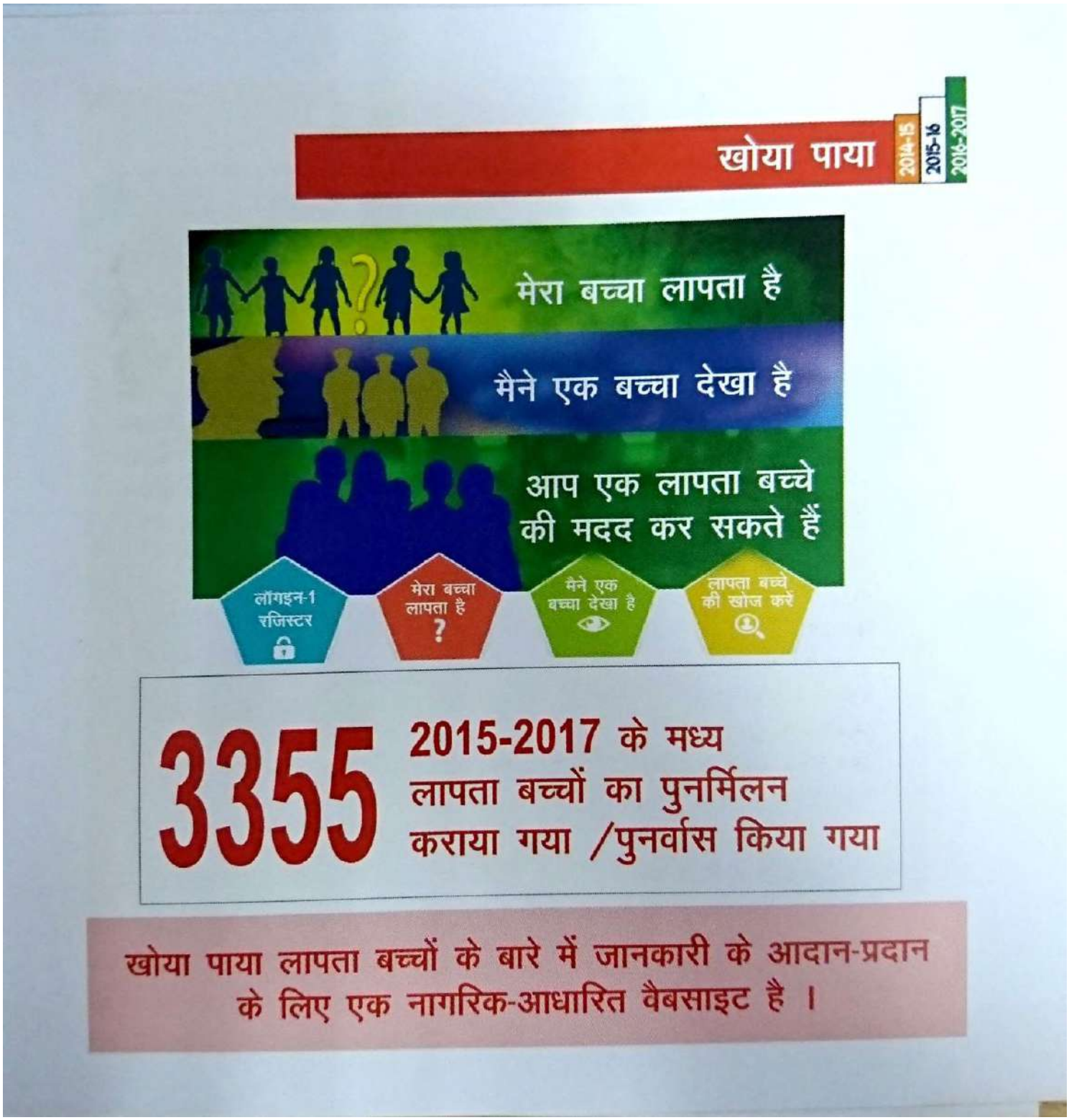

Scanned by CamScanner

नवम्बर, 2015 में रेलवे कोचों में पोस्टर के माध्यम से जागरुकता अभियान आरंभ किया गया था । ट्रेनों में पहले चरण में एक लाख पोस्टर लगाए गए हैं । ये पोस्टर देश की सभी गाडियों में लगाए जा रहे हैं जो यात्रियों के इर्द–गिर्द उन बच्चों के बारे में सचेत करते हैं जिन्हें संरक्षण की जरूरत है । 33 रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड–हेल्पलाइन के साथ क्योस्क लगाए गए हैं जहां पहचान–किए गए बच्चों को उनके माता–पिताओं को वापस करने अथवा बाल गृह में भेजने से पूर्व अस्थायी आश्रय हेतु लाया जाता है । यात्रियों के लिए ऐसे बच्चों की ताक में रहने के लिए लगातार घोषणाएं की जाती हैं। गत दो वर्षों में इसके माध्यम से 19ए000 से अधिक बच्चों को बचाया गया है ।

iii) **चाइल्ड–लाइन का विस्तार** : चाइल्ड–लाइन व्यथित स्थितियों वाले बच्चों के बचाव तथा उनकी सहायता के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है । गत 2 वर्षों में, चाइल्ड लाइन (हैल्पलाइन नम्बर 1098) का विस्तार 316 शहरों के 412 स्थानों पर किया गया है और जल्दी ही 100 और शहरों तक इसका विस्तार किया जाएगा। विस्तारित पहल सेए चाइल्डलाइन लाखों बच्चों को बचाने तथा उनके परिवारों को उन्हें वापस करने में सक्षम रहा है ।

Scanned by CamScanner

चाइल्ड-लाइन

2014-15 | 2015-16 | 2016-2017

चाइल्ड-लाइन देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय, 24 घंटे, फ्री, आपातकालीन टेलीफोन हैल्पलाइन एवं आउटरीच सेवा है ।

CHILD LINE 1098 NIGHT & DAY

412 शहरों तक
चाइल्ड-लाइन का विस्तार

यदि आप गाड़ी/रेलवे स्टेशनों पर किसी बच्चे को देखते हैं जो ·

- अकेला है
- ऐसा दिखता है कि वह खो गया है
- वह डरा हुआ है
- वह चिंतित लग रहा है
- या लगभग 1-2 वयस्क व्यक्तियों के साथ बच्चों का समूह देखते हैं

तो इन बच्चों को आपकी मदद की जरूरत हो सकती है चूंकि ये या तो खो गए हैं, इनका दुर्व्यापार किया गया है या ये अपने घर से भाग कर आए हैं ।

To help these children, you can:

- Dial 100 or 182 or 1098
- Contact the Station Master
- Contact the Railway Police Official present on the train or Railway Station

HELP A CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION USE CHILDLINE (1098) SERVICES

Issued in public interest jointly by
Ministry of Women and Child Development and Ministry of Railways

1000
स्टेशनों को लैस किया जा रहा है

रेलवे स्टेशनों से लापता बच्चों के बारे में बचाव, पुनर्वास, पुनर्मिलन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रलय तथा रेल मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन

Scanned by CamScanner

पाक्सो-ई-बॉक्स

बच्चे प्रायः यौन दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत नहीं कर पाते हैं क्योंकि निरपवाद रूप से यह कार्य उनके किसी जानकार द्वारा किया जाता है । उन्हें शिकायत करने का एक सुरक्षित गुमनाम तरीका प्रदान करने के उद्देश्य से, इंटरनेट–आधारित सुविधाए ई–बॉक्स, उपलब्ध कराई गई है जहां बालक अथवा उसकी ओर से कोई भी अल्प–ब्यौरों के साथ एक शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज होते हीए एक प्रशिक्षित काउंसलर तुरंत बालक से संपर्क करता है और बालक को सहायता प्रदान करता है। काउंसलर भी जहां कहीं अपेक्षित हो, बालक की ओर से एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज करता है । अगस्त, 2016 में आरंभ किए गए पॉक्सो ई–बॉक्स को आज की तारीख तक 300 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर कार्रवाई की गई है ।

2014-15 2015-16 2016-2017

पाक्सो-ई-बॉक्स

अगस्त, 2016 में अपनी शुरूआत से

300 शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर कार्रवाई की गई

- सुरक्षित एवं गुमनाम
- प्रशिक्षित काउंसलर्स
- तत्काल सहायता

बाल यौन शोषण के निपटान के लिए पहला ऑन-लाइन शिकायत बॉक्स

Scanned by CamScanner

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016 (जे.जे. मॉडल नियमावली, 2016) अधिसूचित कर दी गई है तथा 21.09.2016 से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली, 2007 (जे.जे. नियमावली, 2007) को एतदद्वारा निरस्त करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। जे.जे. मॉडल नियमावली, 2016 इस चिंतन पर आधारित है कि बच्चों में सुधार करने तथा उन्हें समाज में पुनर्समेकित करने की जरूरत है । ये नियमावली बच्चों की विकासात्मक जरूरतों को महत्व देती है तथा इस प्रकार बालक के उत्तम हित प्राथमिक रूप से विचारणीय हैं, बालोनुकूल प्रक्रिया बोर्ड में शामिल किए जाते हैं ।

जे.जे. मॉडल नियमावली, 2016 में पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल न्यायालय के लिए विस्तृत बालोनुकूल प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं । इन प्रक्रियाओं में से कुछेक में शामिल हैं : किसी भी बालक को जेल अथवा हवालात में ना भेजा जाए; बालक को हथकड़ी न लगाई जाए; बालक को उपयुक्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए; माता–पिता/संरक्षक को कानूनी सहायता आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। किशोर–न्याय बोर्ड तथा बाल न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वे बालक को सुविधा प्रदान करें और बालक को उसके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में प्रश्नों को समझने के बाद बिना किसी भय के तथ्यों तथा परिस्थितियों का उल्लेख करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

किशोर न्याय प्रणाली में बालकों की प्रगति की समीक्षा करने तथा उनके लिए पर्याप्त पुनर्वास तथा पुनःस्थापन की सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अनेक नए फार्म जोड़े गए हैं । जे.जे. माडल नियमावली, 2016 में शामिल किए गए कुछेक नए फार्मों में निम्नलिखित शामिल हैं : मामला मानीटरिंग पत्र (शीट), प्रत्येक बालक देखरेख की विस्तृत योजना, बाल देखरेख संस्थाओं के पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण के लिए प्रमाण–पत्र, किशोर–न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति आदि की तिमाही रिपोर्ट। इसके अलावा, मानीटरिंग प्रावधानों को सुदृढ़ किया गया है ।

Scanned by CamScanner

विस्तृत - दत्तक ग्रहण सुधार

- सरकार ने अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक–ग्रहण और सगे–संबंधियों द्वारा बच्चों के दत्तक–ग्रहण समेत किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधान और अधिनियम का अध्याय VIII अधिसूचित कर दिया है।
- बच्चों के सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं और इसमें सगे–संबंधियों द्वारा बच्चों के दत्तक–ग्रहण समेत देश में सभी दत्तक ग्रहणों की रिपोर्टिंग की व्यवस्था है।
- साथ ही, अधिनियम के तहत सभी दत्तक–ग्रहण करने के लिए कार्रवाई सरकार द्वारा अधिसूचित और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्मित दत्तक–ग्रहण विनियमनों के अनुसार की जानी हैं।
- इस अधिनियम के तहत इससे पहले मौजूद केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन एजेंसी को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

केवल केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना तथा मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से कानूनी दत्तक–ग्रहण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) के कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों में ये शामिल हैं : – विशिष्टता–प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियां और बाल देखरेख संस्था संपर्क, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के स्थापन को बढ़ावा देना, कठिनता से नियोजनीय बच्चों के लिए तत्काल स्थापन मॉड्यूल, परामर्शी केंद्र, प्रशिक्षण और विकास ।

Scanned by CamScanner

पोषण देखरेख

2014-15 2015-16 2016-2017

पोषण पितृत्व के महान कार्य में सहभागिता के लिए अधिक से अधिक लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हमने किशोर न्याय अधिनियम के तहत वर्ष 2014 में पोषण देखरेख कार्यक्रम आरंभ किया ।

दत्तक ग्रहण विनियमन

2014-15 2015-16 2016-2017

समस्त दत्तक ग्रहण प्रणाली को 01 अगस्त, 2015 से ऑन लाइन कर दिया गया है ।

Scanned by CamScanner

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खंड (3) के साथ पठित धारा 68 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बच्चों का दत्तक–ग्रहण 2015 के शासी दिशानिर्देशों के अतिक्रमण में भारत सरकार द्वारा दत्तक–ग्रहण विनियमन 04.01.2017 को अधिसूचित किये गये हैं और 16.01.2017 से प्रभावी हैं।

1. केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के पास ऑनलाइन पंजीकरण भारत में किसी भी स्थान से बालक के दत्तक ग्रहण के लिए अनिवार्य है ।
2. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना तथा मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के लिए कारा का एक आधिकारिक पोर्टल है ।
3. किशोर–न्याय (बालक की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 80 तथा 81 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी जो गैर–कानूनी दत्तक ग्रहण में मदद करता है तो उसे दंडित किया जाएगा ।
4. एक बालक को गैर–कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण करते हुएए आप अनजाने में बाल–दुर्व्यापार नेटवर्क का भाग बन सकते हैं ।
5. दत्तक ग्रहण में दलालों/मध्यस्थों की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि वे आपको बालक को गैर–कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण करने के लिए पथभ्रष्ट कर सकते हैं।
6. दत्तक ग्रहण विनियमनों में देश में और अंतर–देशीय में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित (ओएएस) बच्चों के दत्तक–ग्रहण के प्रावधानों का समावेश है।
7. देश में और विदेश में सगे–संबंधियों द्वारा दत्तक–ग्रहण से संबंधित प्रक्रिया को विनियमनों में परिभाषित किया गया है।
8. सौतेले बच्चों का दत्तक–ग्रहण भी शामिल किया गया है।
9. मॉडल दत्तक–ग्रहण आवेदनों सहित 32 अनुसूचियां विनियमनों के साथ न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु संलग्न हैं और इससे न्यायालय के आदेश प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब में काफी कमी आएगी।

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय पोषण मिशन

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.) का प्रस्ताव बच्चों (0–3 वर्ष) में अल्प पोषण को रोकने तथा कम करने; बालकों (6–59 माह) में रक्ताल्पता की व्यापकता में कमी लाने; महिलाओं तथा किशोरियों (15–49 वर्ष) में रक्ताल्पता की व्यापकता में कमी लाने और अल्पवज़नी बच्चों में कमी लाने के उद्देश्यों से 3 वर्ष की अवधि में समयबद्ध रूप में बच्चों (0–6 वर्ष), किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पौषणिक स्थिति में सुधार प्राप्त करने का है। प्रस्तावित राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एम.डी.डब्ल्यू.एसए ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) आदि के अंतःक्षेपों के जमीनी स्तरीय अभिसरण लाने के अलावा लाभार्थियों और सेवा प्रदायगी की रीयलटाइम आई.टी. आधारित मानीटरिंग भी प्रदान करेगा ।

Scanned by CamScanner

आंगनवाड़ी अवसंरचना में सुधार करना

सरकार स्वास्थ्य, पोषण तथा प्रारंभिक अधिगम के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी.) को प्रथम आउट–पोस्ट बनाने के लिए 'व्यवहार्य ई.सी.डी. केंद्र' के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में, कार्यक्रमागत, प्रबंधन तथा संस्थागत क्षेत्रों को शामिल करते हुए आई.सी.डी. एस. स्कीम में सुधार करने तथा सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं ।

आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवा–प्रदायगी में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । वर्ष 2015 के प्रारंभ में 4.5 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (कच्चे/किराए के भवनों में चल रहे) को अपने.अपने कार्यकलाप अवस्थित करने के लिए कोई पक्के भवन नहीं हैं। अतः आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवनों के निर्माण की अत्यावश्यकता थी। अतः 11 राज्यों में आई.पी.पी.ई ब्लॉकों/उच्च भारित जिलों को शामिल करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आई.सी.डी.एस. स्कीम के अभिसरण में मनरेगा के अंतर्गत 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त दिशानिर्देश 13.08.2015 को जारी किए गए। इसके अलावा, समूचे देश में वर्ष 2019 तक 4 लाख आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देश 17.02.2016 को जारी किए गए थे ।

Scanned by CamScanner

वर्ष 2015–16 के दौरान अभिसरण स्कीम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में 29.941 आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी.) के निर्माण का अनुमोदन किया गया और इन आंगनवाड़ी के भवनों के निर्माण के लिए 18,264.62 लाख रुपये निर्मुक्त कर दिए गए हैं । इसके अलावा, वर्ष 2016–17 के दौरान 81,809 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए 101,139 लाख रूपये निर्मुक्त कर दिए गए हैं । इन निधियों के अतिरिक्त, 2362 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए 3391 लाख रूपये भी नियमित स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए थे।

4,000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में एक निजी क्षेत्र की कम्पनी ने भी अपने बाल–लिंग अनुपात (सीएसआर) कार्यकलापों के अंतर्गत इस पहल में भागीदारी की है ।

पूरक पोषण (आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत) नियमावली, 2017

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.), 2013 में निहित उपबंधों के अनुसरण में, मंत्रालय ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची– I। में विनिर्दिष्ट पौषणिक मानकों के अनुसार, प्रत्येक गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली माता को बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक तथा 6 माह से 6 वर्ष तक (कुपोषण से पीड़ित बच्चों सहित) के आयु–वर्ग में प्रत्येक बच्चे को एक वर्ष में 300 दिन तक के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत विनिर्दिष्ट हकदारी को नियमित करने के लिए, 20 फरवरी, 2017 को पूरक पोषण (समेकित बाल विकास स्कीम के अंतर्गत) नियमावली, 2017 अधिसूचित की है। पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न अथवा भोजन की पात्र मात्रा की आपूर्ति न होने के मामले में, ऐसे व्यक्ति संबंधित सरकार से, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समय तथा तरीके में; प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाने वाले ऐसे खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

Scanned by CamScanner

आई.सी.डी.एस. प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा पोषण सुधार परियोजना (आई.एस.एस.एन.आई.पी) :

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निम्नलिखित परियोजना विकास उद्देश्यों के साथ 3.68 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को शामिल करते हुएए 8 राज्यों के 162 अतिभारित जिलों मेंए आई.सी.डी.एस. प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा पोषण सुधार परियोजना (आई.एस.एस.एन. आई.पी.) से सहायता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आई.डी.ए.) क्रियान्वित कर रहा है :–

1. 3 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करने को सुनिश्चित करने के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) नीति कार्यढांचा, प्रणालियों, क्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा सामुदायिक व्यवस्था सुकर कराना ।
2. उन्नत पोषण परिणामों के लिए अभिसरण कार्रवाई को सुदृढ़ करना ।

आई.एस.एस.एन.आई.पी. के प्रमुख कार्यकलापों में एक कार्यकलाप आई.सी.डी.एस. की रीयल टाइम मानीटरिंग समर्थित सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी. – आर.टी.एम.) है । इसका अभिप्राय आई.एस.एस.एन.आई.पी. राज्यों के आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सी) में विशिष्ट रूप से निर्मित आई.सी.डी.एस. – कामन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित मोबाइल साल्यूशन के विस्तार द्वारा आई.सी.डी.एस. स्कीम की सेवा प्रदायगी में सुधार करने में तथा बेहतर पर्यवेक्षण – सुनिश्चित करने के लिए रीयल टाइम मानीटरिंग प्रणाली (आर.टी.एम.) स्थापित करने हेतु सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी को शक्ति प्रदान करना है । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां आई.सी.डी.एस. – सी.ए.एस. के साथ संस्थापित मोबाइल उपकरणों के माध्यम से उन्हें प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में सूचना प्रदान कराती हैं । ये सूचना महिला– पर्यवेक्षकए सी.डी.पी.ओ.ए डी.पी.ओ. राज्य–कार्यालय तथा केंद्रीय स्तर पर प्राप्त की जा सकती हैं ।

आई.सी.टी. समर्थित रीयल टाइम मानीटरिंगए आई.सी.डी.एस. तथा सहायक – प्रणाली को संचालित करने के लिए कामन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (सी.ए.एस.) के डिज़ाइन, विकास तथा विस्तार की सहायता के लिए मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशन (बी.एम.जी.एफ.) के साथ एक सहयोग ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। तदनुसार, बी.एम.जी.एफ. द्वारा विशिष्ट रूप से निर्मित कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (आई.सी.डी.एस. – सी.ए.एस.) तैयार किया गया है ।

Scanned by CamScanner

आई.एस.एस.एन.आई.पी. की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- 5 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश में आई.सी.टी. – आर.टी.एम. का विस्तार शुरू किया गया है ।
- इन 05 राज्यों में पहले ही आई.सी.डी.एस. – सी.ए.एस. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्थापित किए गए कुल 54,712 स्मार्ट फोन उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं ।
- 38,388 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को मोबाइल – एप्लीकेशन के प्रयोग में पहले स्तर के प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें और 3 चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा दर्ज़ की गई सूचना डैशबोर्ड़ पर आनी शुरू हो गई है जिसे ब्लॉक, जिलाएराज्य और केन्द्रस्तर पर www.icds-cas.gov.in पर देखा जा सकता है ।

किशोरियों के लिए स्कीम :

किशोरियों के लिए स्कीम, जो वर्ष 2010–11 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 205 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है । इस स्कीम का उद्देश्य 11–18 वर्ष की आयु वाली (स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों पर विशेष ध्यान सहित) किशोरियों का उनके स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करके तथा उनके कौशल का उन्नयन करके समग्र विकास करना है ।

इस स्कीम के दो प्रमुख घटक हैं यथा पोषण घटक एवं गैर–पोषण । स्कीम के पोषण घटक के अन्तर्गत 11–14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को तथा 14–18 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी केन्द्र जा रही सभी किशोरियों को 'घर ले जाओ राशन' या गरम पका हुआ भोजन के रूप में पूरक पोषण दिया जाता है । गैर पोषण घटक के तहत 11–18 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिसमें निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं यथा – आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) पूरक, स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाएंए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षाए परिवार कल्याणए अर्शए जीवन कौशल शिक्षा पर परामर्श/मार्ग–दर्शन, सरकारी सेवाएं प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण (केवल 16–18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को) प्रदान करना । इस स्कीम का स्कूल न जाने वाली किशोरियों को स्कूल प्रणाली में शामिल करना भी लक्ष्य है ।

Scanned by CamScanner

यह स्कीम केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य पोषण के लिए 50:50 तथा शेष घटकों के लिए 60:40 के अनुपात में लागत शेयर करके राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (विधान पालिका वाले) के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । उत्तर–पूर्वी राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों के लिए केन्द्र व राज्य का शेयर अनुपात 90:10 है और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी । वर्ष 2015–16 से, राज्यों को 14वें वित्त आयोग के तहत संसाधनों के उच्चतर वितरण को ध्यान में रखते हुए राज्यों को स्कीम के अन्तर्गत राज्य शेयर के रूप में ज्यादा योगदान देना होगा ।

जंक फूड संबंधी दिशा-निर्देश :

जंक फूड संबंधी दिशा–निर्देश निरूपित किए जा चुके हैं और उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कार्यान्वयन के लिए भेज दिया गया है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़ से सम्बद्ध सभी स्कूलों से इन दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए आग्रह किया है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय से तदनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक एडवाईजरी जारी करने का अनुरोध किया गया है । दिशा–निर्देशों में यह भी सुझाव दिया गया है कि बेचने वाले/सड़क किनारे खाद्य सामग्री बेचने वाले को किसी भी स्कूल के 200 मीटर के दायरे में स्कूल समय के दौरान ऐसे खाद्य पदार्थ बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन दिशा–निर्देशों में स्कूल केंटीन में ऑफर करने के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थों की सूची भी दी गई है ।

Scanned by CamScanner

खाद्य एवं पोषण बोर्ड़ की प्रमुख पहलें :

नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एफटीएल्स) की स्थापना :

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं पोषण बोर्ड़ आईसीडीएस स्कीम में पूरक पोषण के लिए पोषणीय एवं आहारीय मानदंड सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता हेतु खाद्य एवं पूरक पोषण का विश्लेषण करने के लिए चार खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं यथा 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, फरीदाबाद और मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता में 03 क्षेत्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है ।

खाद्य संपुष्टिकरण पहल :

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आबादी, विशेषकर महिला एवं बच्चों, में ऑयरन, विटामिन–ए, आयोडीन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने का संज्ञान लेते हुए खाद्य पदार्थों के संपुष्टिकरण के जरिए इस मुद्दे का समाधान करने की पहल की है । इस बारे में, एफएसएसएआई द्वारा खाद्य पदार्थों के संपुष्टिकरण पर एक विस्तृत विनियम यथा "खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य पदार्थों का संपुष्टिकरण) विनियम, 2016" संचालित किया गया है जो गेहूं का आटा, चावल, दूध, खाद्य तेल और नमक जैसे मौलिक आहारों के संपुष्टिकरण के लिए मानक निर्धारित करता है । संपुष्टिकृत खाद्य पदार्थों के लिए एक लोगो भी शुरू किया गया है। क्षेत्रीय मुद्दों में एक अन्तर्दृष्टि हासिल करने और चयनित खाद्य पदार्थों के संपुष्टिकरण तथा राज्यों के अनुभवों पर चिंता व्यक्त करने की दृष्टि से दिल्ली, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा गुवाहाटी में 5 (पांच) क्षेत्रीय विचार–विमर्शों का आयोजन किया गया था । इन विचार–विमर्शों से प्राप्त अनुभव तथा फीडबैक से सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों अर्थात् एमडीएम, आईसीडीएस तथा पीडीएस में पुष्टिकृत खाद्य पदार्थ शुरू करने का मार्ग मिलेगा ।

Scanned by CamScanner

बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनपीएसी) 2016 बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2013 में निहित सिद्धांतों पर आधारित है । इस कार्य योजना के चार प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र हैं यथा – उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण एवं सहभागिता । एनपीएसी चल रहे कार्यक्रमों और नए कार्यक्रमों की शुरूआत का अभिसरण सुनिश्चित करना चाहती है ताकि बच्चों के लिए अपेक्षित स्तर का प्रतिफल हासिल करने के लिए सुपरिभाषित कार्यनीतियों एवं कार्यकलापों के जरिए लक्ष्यों पर बल दिया जा सके। यह योजना सभी स्तर के सभी बच्चे समग्र ढंग से अपनी पूर्ण क्षमता का विकास करें, यह सुनिश्चित करते हुए खामियों एवं जरूरतों की अन्तर–संबंधितता पर पूरा ध्यान देती है और उनमें से प्रत्येक का समाधान करने के लिए उपायों के बारे में सुझाव देती है। चूंकि बच्चों की कमजोरियां बहु–स्तरित और अर्न्तसंबंधित होती हैं; लिहाजा यह बहु–क्षेत्रक पहुंच को अपनाती है और सभी हितधारकों अर्थात् संबंधित मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, पीआरआई, सिविल सोसायटी संगठनों, मीडिया, व्यापार गृहों और स्वयं बच्चों के मध्य अभिसरण तथा समन्वय पर बल देती है। यह सतत विकास लक्ष्यों का ध्यान रखती है और बच्चों के लिए एसडीजी हासिल करने के लिए रोडमैप का सुझाव देती है ।

एनपीएसी, 2016 की शुरूआत माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा राष्ट्रीय कन्या दिवस के अवसर पर दिनांक 24 जनवरी, 2017 को की गई थी।

Scanned by CamScanner

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

सरकार ने सेवाओं के परिदान, लाभ या केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न सब्सिडी और व्यक्तियों तथा समूहों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों, जहां राशि भारत की संचित निधि से उपगत होती हो, के लिए लाभार्थियों के पहचानकर्त्ता के रूप में आधार इस्तेमाल करते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को अपनाया है। आधार का इस्तेमाल सरकारी परिदान प्रक्रिया को सरल बनाता है, पारदर्शिता एवं दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधा जनक एवं निर्बाध ढंग से सीधे अपने हक लेने में सक्षम बनाता है ।

अपनी योजनाओं में डीबीटी को लागू करने के लिए सरकार के निदेशों का अनुसरण करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्रियान्वयन के लिए 15 स्कीमों / घटकों को चुना है ।

साथ ही, आधार को लाभार्थियों का पहचानकर्ता के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार ने आधार (आर्थिक एवं अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है। इसका अनुसरण करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मंत्रालय की सभी 15 डीबीटी युक्त स्कीमों के बारे में यूआइडीएआई तथा विधि कार्य विभाग द्वारा यथा–वैटिड अधिसूचनाएं भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की हैं । डीबीटी युक्त स्कीमों की सूची तथा आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं को मंत्रालय की वैब–साइट www.wcd.nic.in>DBT पर पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है ।

मंत्रालय की इन योजनाओं / घटकों में डीबीटी के क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन आवश्यक शर्तों यथा – लाभार्थी डाटाबेस और बैंक खातों का डिजीटाइजेशन, प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन और रियल टाइम एमआईएस का सृजन, सार्वजनिक आर्थिक प्रबन्धन प्रणाली (पीएफएमएस) आदि के साथ राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के भुगतान पोर्टल का समेकन आदि को पूरा कर रहे हैं और मंत्रालय निकटता से प्रगति को मॉनिटर कर रहा है ।

Scanned by CamScanner

ई-ऑफिस का कार्यान्वयन :

मंत्रालय में सरकारी प्रत्युत्तर में दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार हेतु एक ही स्थान पर सूचना और संप्रयोग/सेवाओं तक वन–स्टॉप पहुंच बिन्दु मुहैय्या कराने के लिए, मंत्रालय ने ई–ऑफिस लागू कर दिया है जिसमें फाइल प्रबंधन प्रणाली (ई–फाइल), सूचना प्रबन्धन प्रणाली (केएमएस), अवकाश प्रबन्धन प्रणाली (ईलीव), दौरा प्रबन्धन प्रणाली (ईटूर), कार्मिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली (पीआईएमएस), सहयोग एवं संदेश सेवाएं (सीएएमएस) शामिल हैं। मार्च, 2017 तक लगभग 28,000 फाइलें डीजीटाइज्ड की जा चुकी हैं। परिणामस्वरूप, इससे स्टेशनरी मदों की खरीद में कमी आई है, समय व लागत में बचत हुई है, स्टाफ/अधिकारियों की उत्पादकता और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। प्रशासनिक सुधार एवं जन–शिकायत विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ई–ऑफिस सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्लेटिनम मंत्रालय घोषित किया गया है।

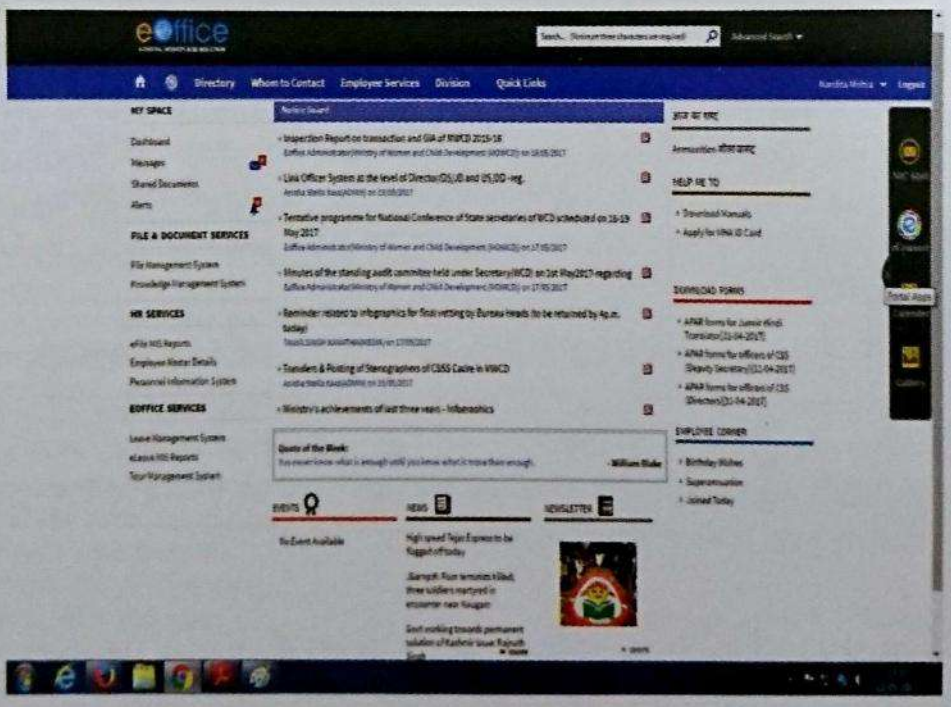

Scanned by CamScanner

सोशल मीडिया पर सहभागिता :

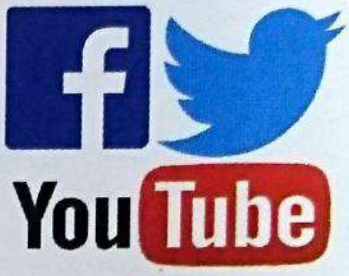

मंत्रालय फेसबुक, ट्विटर और यू–ट्यूब के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सक्रिय है और लाखों में इसके फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया को महिला एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों पर आम जनता के मध्य जागरूकता फैलाने, सकारात्मक रवैया एवं व्यवहार परिवर्तन में सहायता करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । इस माध्यम का सरकार की विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों पर जानकारी प्रसारित करने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक जुड़ सकें ।

सरकार के नागरिकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया की ताकत एवं पहुंच का इस्तेमाल करने हेतु सरकार के एजेंडा के अनुरूप मंत्रालय ने #HelpMeWCD शुरू किया है जहां महिलाएं एवं बच्चे अपनी समस्याएं भेज सकते हैं । महिला/बच्चे तक पहुंचने और उन्हें यथा संभव मदद देने के लिए कार्मिकों की विशेष रूप से सुग्राही टीम को लगाया गया है। बहुत सी परिस्थितियों में समाधान मंत्रालय से परे एजेंसियों द्वारा किया जाना होता है लेकिन महिला एवं बाल विकास टीम महिला/बच्चे की तरफ से मामले को संबंधित प्राधिकारी/एजेंसी के साथ उठाती है। साइबरस्पेस में महिलाओं के उत्पीड़न के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने अभियान चलाया जहां ऑनलाइन टॉलिंग (फुसलाना) की शिकायतें निश्चित उत्तर सहित सीधे मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स को की जा सकती हैं जिसका मंत्रालय एक समस्या समाधान कक्ष भी चला रहा है जहां समूचे देश में महिलाओं एवं बच्चों से ई–मेल के जरिए सीधे शिकायतें दर्ज़ कराई जा सकती है और उत्तर प्राप्त किया जा सकता है ।

Scanned by CamScanner

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वेबसाईट : www.wcd.nic.in

Scanned by CamScanner